PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

03/06/2024 से 09/06/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6,
नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास
दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात 1
2. पदोन्नति में एससी / एसटी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है : सर्वोच्च न्यायालय 4
3. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना 7
4. विश्व पर्यावरण दिवस 2024 : महत्व और चुनौतियाँ 9
5. भारत में मीडिया की निष्पक्षता बनाम भ्रामक विज्ञापन उद्योग 12
6. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 15

करंट अफेयर्स जून 2024

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय कृषि, खाद्य उत्पादन पर मौसम का प्रभाव तथा भारत में खाद्य सुरक्षा नीति ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' खाद्य मुद्रास्फीति, गेहूँ, खाद्य फसलें, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत ने लगातार तीन वर्षों की निराशाजनक गेहूँ के घटते उत्पादन और उसके भंडार के कारण छह वर्षों के बाद गेहूँ का आयात फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
- भारत सरकार ने गेहूं के आयात पर लगे %40 कर को हटाने की योजना बनाई है, जिससे निजी व्यापारियों और आटा मिल मालिकों को रूस जैसे उत्पादकों से गेहूं खरीदने में सहायता मिलेगी1। इस निर्णय की उम्मीद आम चुनावों के समापन के बाद की जा रही है, जो गेहूं आपूर्ति के मुद्दे को हल करने में एक प्रमुख बाधा रहा है।
- कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष 1120.20 लाख टन गेहूँ के उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन मंडियों में आवक और सरकारी खरीद को देखते हुए यह अनुमान सही नहीं लगता। विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूँ का घरेलू उत्पादन पिछले तीन वर्षों से संतोषजनक नहीं रहा है और कीमतें भी ऊँची रही हैं।
- गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। आयात शुल्क हटाने से व्यापारियों और फ्लोर मिलर्स के लिए विदेशों से गेहूँ के आयात का रास्ता साफ हो जाएगा, और रूस से गेहूँ का आयात सबसे सस्ते दाम पर होने की संभावना है।
- शुरुआती दौर में सीमित मात्रा में गेहूँ का आयात किया जा सकता है। बड़े उत्पादकों के पास मौजूद स्टॉक के कारण, आयात शुरू होने पर किसान अपना माल जल्दी मंडियों में उतार सकते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।
- वर्तमान समय में गेहूँ के नए माल की आपूर्ति और सरकारी खरीद का सीजन चल रहा है, इसलिए नया निर्णय लेने के लिए सरकार जून तक इंतजार कर सकती है। तब तक केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका होगा।

भारत में गेहूँ उत्पादन की वर्तमान स्थिति :

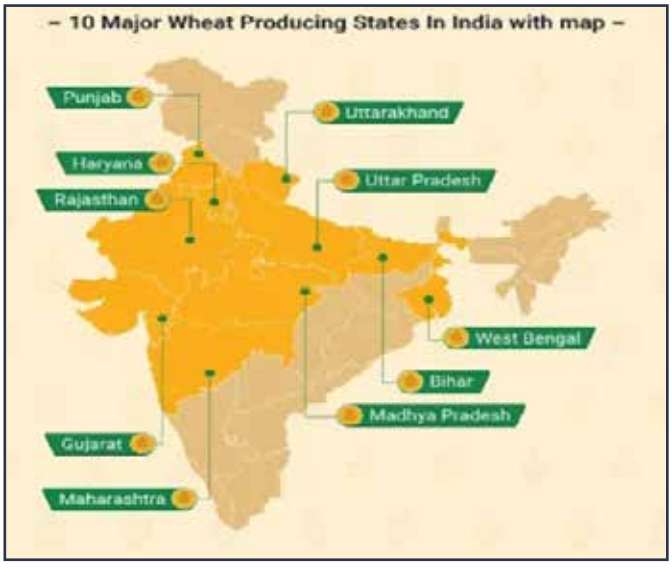

- गेहूँ भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह मुख्य रूप से देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों में उगाई जाती है।
- यह एक रबी की फसल है जिसे परिपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की जरूरत होती है।

- हरित क्रांति ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- गेहूँ की बुवाई के लिए आदर्श तापमान °15-10C और परिपक्वता तथा कटाई के समय °26-21C के बीच होना चाहिए।
- वर्षा की मात्रा लगभग 100-75 सेमी होनी चाहिए।
- भारत में गेहूँ के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा सु-अपवाहित उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी है, जैसे कि गंगा-सतलुज मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र।
- **विश्व में शीर्ष तीन गेहूँ उत्पादक देश (2021) चीन, भारत और रूस हैं, जबकि भारत में शीर्ष तीन गेहूँ उत्पादक राज्य (22-2021) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं।**
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूँ व्यापार में इसकी हिस्सेदारी %1 से भी कम है।
- भारत अपने गेहूँ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध कराता है। **भारत के गेहूँ का प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका हैं।**
- सरकार द्वारा गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पहलें की गई हैं, जैसे कि मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

भारत का गेहूँ को आयात करने का मुख्य कारण :

- भारत ने गेहूँ आयात करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पिछले तीन वर्षों में प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूँ उत्पादन में कमी आई है।
- इस वर्ष उत्पादन में %6.25 की कमी का अनुमान है, जो पिछले वर्ष (वर्ष 2023) के रिकॉर्ड 112 मिलियन मीट्रिक टन से कम है1।
- इसके अलावा, भारत में सरकारी गोदामों में गेहूँ का भंडार 16 वर्षों में सबसे कम, 7.5 मिलियन टन तक घट गया है, क्योंकि सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने भंडार से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूँ बेच दिया है।
- भारत में सरकारों द्वारा गेहूँ की खरीद में भी कमी आई है।
- सरकार का इस वतमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 32-30 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीदा जा सका है।
- घरेलू गेहूँ की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर बनी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ोतरी हुई है।
- इसलिए सरकार ने गेहूँ पर %40 आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया, जिससे निजी व्यापारियों और आटा मिलों को रूस से गेहूँ आयात करने की अनुमति मिल सके।

भारत सरकार के निर्णय के संभावित निहितार्थ :

भारत सरकार के इस निर्णय के संभावित निहितार्थ निम्नलिखित हैं –

- **घरेलू बाजार में आपूर्ति में वृद्धि और मूल्य स्थिरता :** आयात शुल्क समाप्त करने से घरेलू बाजार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सकता है।
- **रणनीतिक भंडार की पुनः पूर्ति :** आयात लागत कम होने से सरकार को घटते गेहूँ की पुनः पूर्ति करने में मदद मिलेगी, जो घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित व्यवधानों से बचने के लिए एक बफर का निर्माण करेगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।
- **वैश्विक बाजार में कीमतों में संभावित वृद्धि का दबाव :** भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम है (5-3 मिलियन मीट्रिक टन), लेकिन यह वैश्विक गेहूँ की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे सकती है। रूस जैसे प्रमुख निर्यातक देश वर्तमान में उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।
- **सीमित प्रभाव :** भारत की आयात आवश्यकता से वैश्विक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, बड़े प्रतिस्पर्धी गेहूँ के वैश्विक मूल्य रुझानों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेंगे।
- सरकार जून के बाद तक इंतजार कर सकती है, जो गेहूं की कटाई का मौसम है, और अक्टूबर में गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले इसे पुनः लागू कर सकती है। इस निर्णय का समर्थन रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने भी किया है।

सीमा शुल्क :

- सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो आयातित वस्तुओं पर और कुछ मामलों में निर्यातित वस्तुओं पर भी लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना और घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना है।
- सीमा शुल्क की गणना माल के मूल्य, आकार और वजन के आधार पर की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के शुल्क शामिल होते हैं जैसे कि मूल सीमा शुल्क, प्रतिसंतुलन शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी-डंपिंग ड्यूटी, और सुरक्षा शुल्क आदि।

छूट और विशेष मामले :

- जन कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इनमें जीवन रक्षक दवाएँ और उपकरण, उर्वरक और खाद्यान्न फसलें भी शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम और उसका प्रमुख कार्य :

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित किया गया है। यह निकाय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख कार्य :

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ व धान की खरीद करना :** भारतीय खाद्य निगम किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन

को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान की खरीद करता है।

- **भंडारण या बफर स्टॉक बनाए रखना और अभावग्रस्त अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित करना :** भारतीय खाद्य निगम खरीदे गए खाद्यान्नों को देश भर के अपने गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करता है, ताकि बफर स्टॉक बनाए रखा जा सके और अभावग्रस्त अवधि में भी उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करना :** भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न वितरित करता है, जिससे वे इसे आगे वितरित कर सकें और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच प्रदान की जा सके।
- **बाज़ार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर कर बाजार स्थिरीकरण को नियंत्रण में रखना :** भारतीय खाद्य निगम , खरीद और वितरण को विनियमित करके बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है, जिससे मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
- **खाद्यान्न स्टॉक और आवागमन पर निगरानी रखना :** भारतीय खाद्य निगम, उत्पादन में संभावित कमी की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, देशभर में खाद्यान्न स्टॉक और उनके आवागमन पर निगरानी रखता है।

इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष और समाधान या आगे की राह:

- **जलवायु-प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों के लिए प्रजनन :** भारत में गर्मी-सहनशील गेहूं की किस्मों का विकास एक व्यापक अभ्यास रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 'HD 3086' जैसी किस्मों का विकास किया है, जो 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती हैं और गर्मी के तनाव की स्थिति में अधिक उपज देती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन के लिए कृषि संबंधी प्रथाओं में सुधार:** सटीक खेती की तकनीकों का उपयोग करके गेहूं की पैदावार में वृद्धि और पानी तथा उर्वरक इनपुट में कमी लाई जा सकती है।
- **गेहूं के आयात और स्टॉक प्रबंधन का अनुकूलन :** मिस्र और चीन जैसे देशों ने गेहूं के आयात और रणनीतिक स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की है।
- **जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश :** अंतर्राष्ट्रीय गेहूं सुधार नेटवर्क (IWIN) जैसी पहलों के माध्यम से गर्मी, सूखे और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नई गेहूं किस्मों का विकास और परीक्षण किया जा रहा है।
- **स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाना :** पारंपरिक जल संचयन तकनीक और सूखा-सहिष्णु फसलों का उपयोग करके कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।
- **जलवायु सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच में सुधार :** कृषि से संबंधित आकस्मिक योजनाएँ मौसम पूर्वानुमान और फसल संबंधी सलाह प्रदान करती हैं, जिससे किसान सक्रिय अनुकूलन कर सकते हैं।
- **अल्पावधि और दीर्घावधि स्तर की रणनीति बनाना :** भारत में फसलों की अत्यधिक उत्पादन के लिए अल्पावधि में गेहूं के आयात को सक्षम करने और दीर्घावधि में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रजनन और इनपुट उपयोग दक्षता में निवेश करने की आवश्यकता है।
- भारत द्वारा गेहूँ के आयात को फिर से आरंभ करने का निर्णय और आयात शुल्क हटाने से संबंधित निर्णय घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. **भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए।**

1. कपास
2. मूंगफली
3. धान
4. गेहूँ

निम्नलिखित फसलों में से कौन-सी फसल खरीफ फसल हैं?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 1, 3 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एक ओर भारत जहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, वहीं दूसरी ओर यह अक्सर गेहूँ का आयात करता है। भारत द्वारा गेहूँ के आयात करने वाले प्रमुख कारकों का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सकता है। तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2. भारत में सुशासन के लिए आज भी भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में व्याप्त इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगति की है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और समाधान के उपाय सुझाइये। (UPSC CSE – 2017 शब्द सीमा – 250 अंक – 10)

पदोन्नति में एससी / एसटी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है : सर्वोच्च न्यायालय

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, एससी और एसटी से संबंधित मुद्दे पर निर्णय, सार्वजनिक रोज़गार और पदोन्नति में आरक्षण ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पदोन्नति में आरक्षण, इंद्रा साहनी निर्णय, अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 16 (4A), अनुच्छेद 16(4B), एम नागराज केस, सर्वोच्च न्यायालय ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' पदोन्नति में एससी / एसटी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है : सर्वोच्च न्यायालय ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती1।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यों को SC-ST के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना अनिवार्य है।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को लेकर देश भर में इसलिए चर्चा हो रही है, क्योंकि यह भारतीय समाज में आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

भारत में मौलिक अधिकार :

- भारतीय संविधान के अनुसार, मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और उनके समग्र विकास और भलाई के लिए अपरिहार्य हैं।
- इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है, जिसमें छह प्रमुख मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं।
- ये मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देते हैं, और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य हैं।

भारत में आरक्षण संबंधी विभिन्न घटनाक्रम का सफ़र :

भारत में आरक्षण संबंधी घटनाक्रम का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

- **इंद्रा साहनी निर्णय, 1992 :** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 4)16) केवल नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है। यह भारत में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने %27 ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया लेकिन आरक्षण की सीमा %50 तक सीमित कर दी, जब तक कि भारत में कोई असाधारण परिस्थितियाँ न हों।
- **77वाँ संशोधन अधिनियम, 1995 :** भारत में हुए 77वाँ संशोधन अधिनियम, 1995 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4)16A) को जोड़ा, जिससे राज्यों को एससी/एसटी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति मिली।
- **85वाँ संशोधन अधिनियम, 2001 :** इसने पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से एससी/एसटी उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान की।
- **एम. नागराज निर्णय, 2006 :** भारत के सर्वोच्च न्यायालय नें एम. नागराज निर्णय में वर्ष 2006 में इंद्रा साहनी के मामले में दिए गए अपने ही निर्णय को आंशिक रूप से पलटा और पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए **"क्रीमी लेयर"** अवधारणा को जोड़कर इसे और विस्तारित किया।
- **जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, 2018:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय नें इस मामले में पदोन्नति में आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था।
- **103वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** भारतीय संविधान

में हुए 103वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इसने भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए %10 आरक्षण का प्रावधान किया।

- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022 :** इसने 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये %10 आरक्षण लागू किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायलय के खंडपीठ ने इस मामले में 2-3 के बहुमत से अपने फैसले में न्यायालय ने आरक्षण से संबंधित संशोधन को बरकरार रखा। इसने सरकार को वंचित सामाजिक समूहों के लिये मौज़ूदा आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।

भारत में पदोन्नति में आरक्षण के लाभ और हानियाँ :

भारत में पदोन्नति में आरक्षण के लाभ और हानियों का निम्नलिखित आयाम है –

भारत में आरक्षण से होने वाले लाभ :

- **सामाजिक न्याय और समावेशन :** इसके तहत यह भारत में सेवाओं के उच्च पदों पर ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों (SC, ST, OBC) के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है।
- **जातिगत एवं सामाजिक बाधाओं को तोड़ना :** यह एक अधिक विविध एवं समावेशी नेतृत्व संरचना का निर्माण करता है, जिससे सामाजिक मुद्दों की बेहतर समझ और समाधान की दिशा में काम किया जा सकता है।
- **सशक्तीकरण एवं उत्थान :** यह हाशिये पर पड़े समुदायों को आगे बढ़ने और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के अवसर प्रदान करता है।
- **सकारात्मक भेदभाव :** यह अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे अतीत में हुए भेदभाव को संबोधित किया जा सकता है।

भारत में आरक्षण से होने वाली हानियाँ :

- **योग्यता बनाम आरक्षण :** इससे पदोन्नति के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी हो सकती है, जिससे योग्यता की अवहेलना होती है।
- **हतोत्साहन एवं हताशा :** यह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में हतोत्साहन एवं हताशा उत्पन्न कर सकता है, जो स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं।
- **क्रीमी लेयर का मुद्दा :** आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत **"क्रीमी लेयर"** को अभी भी लाभ मिल सकता है, जिससे उत्थान का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।
- **वरिष्ठता एवं दक्षता को ध्यान में रखना :** भरात नें पदोन्नति में आरक्षण वरिष्ठता-आधारित पदोन्नति प्रणालियों को बाधित कर सकता है, जिससे उक्त संबंधित संस्थान की समग्र दक्षता प्रभावित हो सकती है। इस तरह के तमाम विचार भारत में पदोन्नति में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और इस विषय पर व्यापक बहस की मांग करते हैं और यह आरक्षण से संबंधित सभी पहलूओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं।

भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :

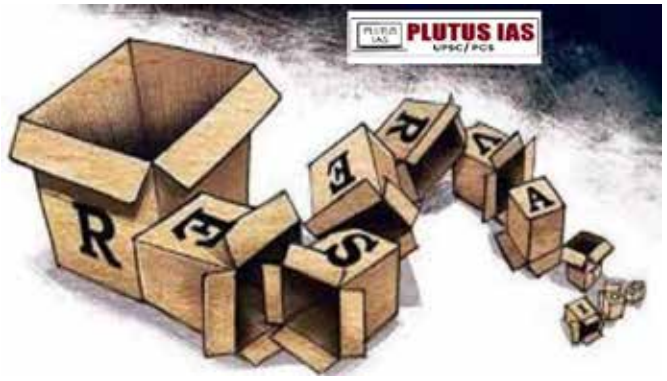

भारतीय संविधान में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- **अनुच्छेद 6)15) :** यह अनुच्छेद राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान दोनों ही शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 4)16) :** यह अनुच्छेद राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण की अनुमति देता है, जिनका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 4)16A) :** यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है, यदि उनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 4)16B) :** भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 6)16) :** यह अनुच्छेद राज्य को नियुक्तियों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त %10 की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

- **अनुच्छेद 335 :** भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत में सरकारी सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के लिए और उसके लिए विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता को मान्यता देता है।
- **82वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 :** वर्ष 2000 में भारतीय संविधान में हुए इस संशोधन ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त जोड़ी, जो राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के पक्ष में प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। इस तरह के तमाम प्रावधान भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

समाधान / आगे की राह :

- **मेरिट- आधारित प्रणाली को प्रोत्साहित करना :** भारत में पदोन्नति के लिए SC/ST/OBC उम्मीदवारों के लिए योग्यता मानदंडों में उचित छूट देने वाली प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उचित मानकों के अनुसार अवसर प्राप्त हो सकें।
- **डेटा – संचालित नीति को अपनाने की आवश्यकता :** भारत में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि SC/ST/OBC के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया जाए। इस आंकड़े का उपयोग करके, केंद्र या राज्य सरकारों दोनों के द्वारा ही आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। अतः भारत में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के डेटा – संचालित नीति को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- **समानांतर पहलों को आरंभ करने की जरूरत :** भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही ऐसी पहलों की वकालत करनी चाहिए जो इन समुदायों के लिए शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करें, जिससे देश में आरक्षण की आवश्यकता कम – से – कम हो।
- **चिंताओं का समाधान :** आरक्षण के कारण अयोग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति की चिंताओं को देखते हुए उचित मान्यताओं को विकसित करने पर भी ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत :** आरक्षण को दीर्घकालिक सामाजिक न्याय और समान अवसरों की प्राप्ति के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना :** भारत में पदोन्नत SC/ST/OBC कर्मचारियों के लिए गहन प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रमों का प्रस्ताव करना चाहिए, जिससे कौशल अंतर को पाटा जा सके और वे अपनी नई भूमिकाओं में सफल हो सकें।

निष्कर्ष : भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण धीरे – धीरे ही सही किन्तु पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रति विकसित होता जा रहा है, जो समानता और सकारात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित करता है। जबकि अदालत ने राज्यों को इस प्रकार के आरक्षण की अनुमति दी है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे प्रशासनिक कुशलता और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक हित प्रभावित न हो।

स्रोत – टाइम्स ऑफ इंडिया एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. पदोन्नति में एससी / एसटी आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है, जिसके तहत सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान हैं।
2. सच्चर समिति की रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय के शिक्षा, रोजगार और आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित है।
3. मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और यह नागरिकों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य हैं।
4. जरनैल सिंह बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय नें पदोन्नति में आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 3 दोनों

D. न तो 1 और न ही 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि पदोन्नति में आरक्षण भारत में किस प्रकार नौकरशाही दक्षता के साथ समावेशिता को संतुलित करने में एक चुनौती पेश करता है? भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पदोन्नति में आरक्षण के प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधानात्मक उपायों पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 10)

अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के 'सामाजिक सशक्तिकरण कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, अमृत योजना को नया रूप देने हेतु कदम, प्रकृति-आधारित समाधान, जन-केंद्रित दृष्टिकोण, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना' और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के 'शासन के स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, शहरीकरण' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 'अमृत, पेयजल सर्वेक्षण, जल के लिये प्रौद्योगिकी उप-मिशन, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), रिवर सिटीज़ अलायंस (RCA), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कोविड-19, आयुष्मान भारत' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में जल की गतिशीलता और प्रदूषण से जुड़े बुनियादी ढाँचे के मुद्दों का समाधान खोजने में आने वाली चुनौतियों के कारण भारत में आरंभ की गई अमृत योजना खबरों के केंद्र में है।
- इस योजना के तहत, भारत सरकार ने जल संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं।
- हाल ही में, **अमृत भारत स्टेशन योजना** की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। इस योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में 75-75 तालाबों के निर्माण की योजना है, जिससे वर्षा जल संचयन और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके।
- इसके अलावा, अमृत मिशन 2.0 के तहत, शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों को जल आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन का %100 कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है।
- इन पहलों का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना और जल संसाधनों का संरक्षण करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल सुनिश्चित किया जा सके। यह जल संकट के समाधान में मदद करेगा और जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देगा।

अमृत योजना का परिचय :

- अमृत योजना, जिसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन या अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो शहरी इलाकों में बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना है।

अमृत योजना 2.0 क्या है ?

- **अमृत 2.0 योजना** की शुरुआत 1 अक्तूबर, 2021 को हुई थी, जिसका लक्ष्य अमृत 1.0 के तहत शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना और विस्तारित करना है।
- इस योजना के तहत, लगभग 4,900 वैधानिक कस्बों में जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और 500 शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज को सुनिश्चित करना है।
- यह योजना उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/ पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के माध्यम से शहर जल संतुलन योजना के विकास को भी बढ़ावा देती है।

- हाल ही में, **अमृत भारत स्टेशन योजना** की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। इस योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को बेहतर यात्री सुविधाओं, बेहतर यातायात परिसंचरण, अंतर-मोडल एकीकरण और उन्नत साइनेज के साथ आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्रों में बदलना है2। यह योजना भारतीय रेलवे क्षेत्र का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के 45 फीसदी मॉडल माल ढुलाई हिस्से का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके देश की जीडीपी में लगभग 1.5 फीसदी योगदान देने की है।

अमृत 2.0 योजना की वर्तमान स्थिति :

अमृत 2.0 योजना की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है –

- **निधि आवंटन :** मार्च 2023 तक चल रही परियोजनाओं के लिए अमृत 2.0 का कुल परिव्यय **2,99,000 करोड़ रुपए** है।
- **प्रभाव :** AMRUT ने महिलाओं के जीवन पर कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। पानी लाने में लगने वाले प्रयासों में कमी आने के कारण अब महिलाएँ अपने समय का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग कर सकती हैं। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के कारण बीमारियों के भार में भी कमी आई है।
- **चुनौतियाँ :** भारत में इस योजना के कार्यान्वयन के बावजूद अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता के कारण प्रतिवर्ष लगभग **200,000 लोग मर जाते हैं**।
- वर्ष 2016 में भारत में असुरक्षित जल और स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों का भार प्रति व्यक्ति चीन की तुलना में **40 गुना अधिक** है और इसमें बहुत कम सुधार हुआ है।
- नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2030 तक लगभग **21 प्रमुख शहरों में भूजल स्तर समाप्त हो जाएगा**, जिससे भारत की **%40 आबादी** को पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकेगा। लगभग **%31 शहरी भारतीय घरों** में पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं होती है, जबकि **%67.3 आवासों** में पाइप से सीवरेज प्रणाली नहीं जुड़ी हुई है।

भारत के केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया अन्य पहल :

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन ढाँचा 2.0
- TULIP- शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम
- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
- रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA)
- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 : राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ भी तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव हो, वर्षा जल संचयन और लवणीकरण की वकालत की जाती है, ताकि उपयोग योग्य जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

AMRUT योजना के सफल रूप से कार्यान्वयन में आनेवाली मुख्य चुनौतियाँ :

अमृत योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों निम्नलिखित है – :

- **भारत के कुछ राज्यों में इस परियोजना के कार्यान्वयन की मुख्य चुनौतियाँ :** इस योजना के तहत खर्च होने वाली धनराशि का नियमित वितरण होने के बावजूद, बिहार और असम जैसे कुछ राज्यों में यह परियोजनाएँ अभी भी अधूरी हैं या उन्होंने पीपीपी मॉडल को अपनाया ही नहीं है, जिसके कारण अधिकतर राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन %50 से भी कम है।
- **AMRUT योजना की सीमाएँ :** भारत में इस योजना में व्यापक दृष्टिकोण की जगह परियोजना-आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है। परिणामस्वरूप यह योजना पूर्णत : क्रियान्वित ही नहीं हो पाई है।
- **संभावित ओवरलैप और अभिसरण की चुनौतियाँ :** AMRUT योजना के तहत भारत के कुछ राज्यों के प्रमुख शहरों में इस योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाओं के बीच ओवरलैप से वित्तीय आवंटन में चुनौतियाँ आ सकती हैं और शहरी मुद्दों के समाधान में बाधा आ सकती है।
- **भारत में वायु प्रदूषण की अनसुलझी समस्या :** AMRUT 2.0 के बाद भी वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि AMRUT 1.0 में मुख्य रूप से पानी और सीवरेज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **गैर- समावेशी शासन की संरचना :** भारत में निर्वाचित नगर सरकारों की सक्रिय भागीदारी के बिना बनाई गई यह योजना शहरी जनता के लिए कम समावेशी हो सकती है। जिस पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।

भारत में AMRUT योजना को पुनर्जीवित करने हेतु समाधान की राह :

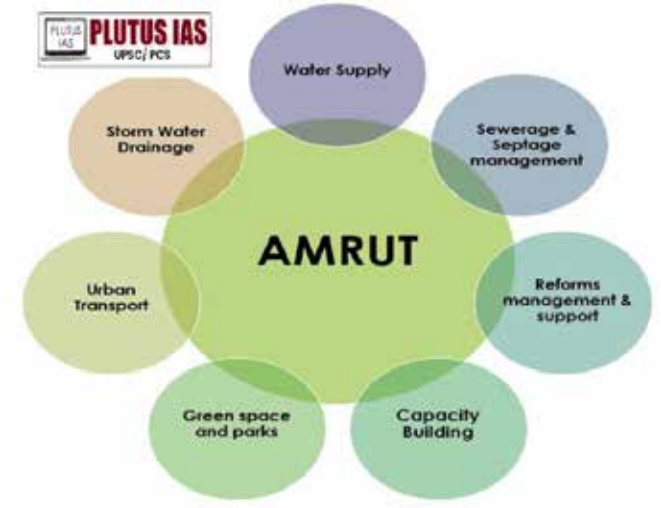

भारत में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 2.0 योजना के पुनर्जीवन हेतु निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है –

- **वित्तीय चुनौतियाँ और समाधान :** भारत में इस योजना के तहत स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय संसाधनों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे शीर्ष-निम्न वित्तपोषण दृष्टिकोण पर निर्भरता कम कर सकें।
- **समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत :** भारत में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जलवायु परिवर्तन, वर्षा प्रतिरूप और मौजूदा बुनियादी ढाँचे के आधार पर शहरी जल प्रबंधन की योजनाएँ बनानी चाहिए और इसके तहत एक नीति – निर्माण के स्तर पर समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है।
- **प्रकृति आधारित समाधान और जन-केंद्रित दृष्टिकोण :** भारत में इस योजना को प्रकृति और समुदाय के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना चाहिए और प्रकृति आधारित समाधान एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
- **सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना :** भारत में इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों और निवासी संघों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे आवास योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार हो सके।
- **स्वच्छता और सफाई में सुधार लाने वाले सफल केस स्टडीज का अध्ययन करना :** भारत में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वच्छता और सफाई में सुधार लाने वाले सफल केस स्टडीज का अध्ययन करना चाहिए और उन केस स्टडीज के तहत अपनाई गई प्रक्रियाओं को भी अपनाने की जरूरत है।
- **नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना :** भारत में स्वास्थ्य और आवास संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर उद्योग-विशिष्ट अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए।
- **सिटी वाटर बैलेंस प्लान (CWBP) को विकसित करना :** भारत में AMRUT 2.0 योजना के तहत शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस प्लान (CWBP) विकसित करने, जल संरक्षण, जल संचयन और उपचारित जल के पुनर्चक्रण/पुनर्उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए ।
- इसके अतिरिक्त, शहरी वित्त को मजबूत करने, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को बढ़ाने, और शहरी योजना में सुधार करने जैसे सुधारों पर भी काम करना चाहिए।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. अमृत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अमृत सरोवर मिशन के तहत भारत के प्रत्येक जिले में 100 से अधिक तालाबों के निर्माण की योजना है।
2. अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना और जल संसाधनों का संरक्षण करना है।
3. अमृत मिशन 2.0 के तहत, शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों को जल आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन का 75 % कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है।
4. नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत के लगभग 91 प्रमुख शहरों में भूजल स्तर समाप्त हो जाएगा।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 4

D. केवल 2

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता और ' स्मार्ट नगर कार्यक्रम ' के तहत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान के उपायों पर विस्तारपूर्वक तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 : महत्व और चुनौतियाँ

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और उससे संबंधित पहल ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' विश्व पर्यावरण दिवस और जैव विविधता, संयुक्त राष्ट्र सभा, स्टॉकहोम कन्वेंशन, COP, NAP, लाइफ आंदोलन ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' विश्व पर्यावरण दिवस 2024 : महत्व और चुनौतियाँ ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की ओर जन-जागरूकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के दो पर्यावरणविदों ने बाघ संरक्षण क्षेत्रों के अंदर भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है, जिससे वनों की कटाई पर अंकुश लगाने और जैवविविधता की पुनर्स्थापना में सहायता मिलेगी।
- विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
- भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत एक टाइगर रिजर्व में, पर्यावरणविद् जय धर गुप्ता और विजय धस्माना ने एक अभिनव पहल की है।
- उन्होंने राजाजी राघाटी बायोस्फीयर (RRB) की स्थापना की, जो कि भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर है जो एक टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है।
- यह बायोस्फीयर 35 एकड़ के निजी वन क्षेत्र पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिकारियों और खनन के प्रभाव से सुरक्षित रखते हुए स्थानीय वनस्पति की दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान और संरक्षण करना है।
- RRB के लिए चयनित भूमि पहले बंजर और अनुपजाऊ थी, लेकिन अब यह जैव विविधता का एक समृद्ध स्थान बन चुका है।
- इसके अलावा, वे महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कोयना नदी के ऊपर एक और बायोस्फीयर विकसित कर रहे हैं।
- यह पहल पश्चिमी घाट के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए जरूरी है।

विश्व पर्यावरण दिवस क्या है ?

- **संयुक्त राष्ट्र सभा** ने सन **1972** में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मानव पर्यावरण के महत्व को समझाना और इसे संरक्षित करने की दिशा में कार्य करना था। यह दिन स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर पहले सम्मेलन का भी प्रतीक है।
- **विश्व पर्यावरण दिवस (WED)** हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जो उस समय के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है।
- **2024** में, **विश्व पर्यावरण दिवस (WED)** की मेजबानी **सऊदी अरब** द्वारा की गई है।
- **वर्ष 2024** में, **विश्व पर्यावरण दिवस (WED)** थीम '**भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता**' है।
- **भारत** ने **2018** में 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ' थीम के साथ WED के **45वें समारोह** की मेजबानी की थी। **2021** में, WED समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर **संयुक्त राष्ट्र दशक (2030-2021)** की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्जीवित करना है।

भारत में भूमि पुनरुद्धार का महत्व :

भूमि पुनरुद्धार का महत्व निम्नलिखित है –

- **पर्यावरणीय क्षति को उलटना**: भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना।
- **निवेश पर उच्च प्रतिफल**: निवेश किये गए प्रत्येक डॉलर से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से **30 अमेरिकी डॉलर** तक का लाभ प्राप्त हो सकता है।
- **समुदायों को बढ़ावा देना**: रोज़गार सृजन करता है, निर्धनता को कम करता है और आजीविका में सुधार करता है।
- **लचीलापन को मज़बूत करना**: समुदायों को चरम मौसम की घटनाओं का बेहतर ढंग से सामना करने में सहायता करता है।
- **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है**: मिट्टी में कार्बन भंडारण क्षमता में वृद्धि करता है और तापमान वृद्धि की गति को धीमा करता है।
- **जैवविविधता की रक्षा**: केवल **%15** क्षरित भूमि को बहाल करने से अपेक्षित प्रजातियों के विलुप्त होने के महत्त्वपूर्ण हिस्से को रोका जा सकता है।

2024 में, मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD)** की **30वीं वर्षगाँठ** भी मनाई जाएगी, जो इस वर्ष की थीम के महत्व को और भी बढ़ाती है।

पर्यावरणीय स्थिरता में भारत का योगदान :

भारत ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए निम्नलिखित योगदान दिए हैं:

- **मिशन LiFE (Lifestyle for Environment)**: यह एक वैश्विक पहल है जो लोगों को सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
- **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)**: इसका लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर

भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)**: इसके तहत वर्ष 2020 तक 21.47 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण किया गया है।
- **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना**: यह भारत की जैवविविधता की रक्षा और संवर्धन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है।
- **नगर वन योजना (शहरी वन योजना)**: यह शहरों और कस्बों के भीतर छोटे शहरी वन या "नगर वन" विकसित करने पर केंद्रित है।
- **स्कूल नर्सरी योजना**: यह स्कूलों को अपनी नर्सरी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **CAMPA कोष**: वनरोपण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
- **आर्द्रभूमि संरक्षण**: भारत ने जनवरी 2024 तक अपने रामसर स्थलों की संख्या को 80 तक बढ़ा दिया है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु में नए स्थल शामिल हैं। भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में अगस्त 2022 में 11 आर्द्रभूमियाँ शामिल की गई थीं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल वेटलैंड्स प्रबंधकों और हितधारकों के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है और बहुमूल्य जानकारी एवं संसाधन प्रदान करता है।
- ये सभी पहल भारत की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और विभिन्न स्तरों पर वनरोपण, जैवविविधता संरक्षण, और आर्द्रभूमि प्रबंधन में योगदान करती हैं।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति :

- वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने पिछले 15 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें शुद्ध वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में वह विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- **भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021** के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र **7,13,789 वर्ग किलोमीटर** है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का **%21.71** है।
- भारत ने **प्रोजेक्ट टाइगर** के 50 वर्ष और **प्रोजेक्ट एलीफेंट** के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है , जिससे वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम**' की शुरुआत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और बंजर वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए की गई है, जो जलवायु कार्रवाई पहल में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- **मैंग्रोव पुनरुद्धार** के लिए, भारत सरकार ने तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
- **राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम** के तहत 'मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं प्रबंधन' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू की गई है।
- केंद्रीय बजट 24-2023 में **मैंग्रोव पहल (MISHTI)** की घोषणा की गई, जो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए है।
- **एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध** के संदर्भ में, सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से 2016 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा** देने के लिए, जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया गया **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस मिशन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है, जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा, अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करेगा और वैऔर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति प्रदान करेगी।

जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया प्रमुख पहल :

- भारत ने सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता के लिए वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency- GACERE) और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल (International Resource Panel- IRP) के साथ मिलकर काम किया है।
- इन मंचों के माध्यम से, भारत ने वैश्विक और न्यायसंगत चक्रीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की वकालत की है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की छठी सभा 31 अक्तूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें 116 सदस्य देश और अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
- पर्यावरण दिवस पर, कोयला मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि पुनर्प्राप्ति के प्रयासों का विवरण है।
- इस रिपोर्ट में "कोयला एवं लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हरित पहल" के तहत खनन द्वारा प्रभावित भूमि को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के प्रयासों को उजागर किया गया है।
- यह रिपोर्ट बताती है कि कोयला क्षेत्र भूमि पुनरुद्धार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कोयला खनन क्षेत्रों

में और उसके आसपास लगभग 50,000 हेक्टेयर का हरित आवरण बनाया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक का उत्सर्जन होने का अनुमान है।

- इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution- NDC) लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है।

विश्व पर्यावरण दिवस और जैव विविधता के संरक्षण में आगे की राह :

- **शिक्षा और जागरूकता:** जैव विविधता के महत्व को लोगों के बीच जागरूक करने के लिए शिक्षा का महत्व है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए।
- **समुद्री और जलवायु संरक्षण:** समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए समुद्री बागवानी के अधिकारियों को नवाचारिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनका संवाद करने के लिए भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
- **वन्यजीव संरक्षण:** वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नवाचारिक तरीकों का अध्ययन करना चाहिए। वन्यजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **वृक्षारोपण और जल संरक्षण:** वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नवाचारों की बढ़ावा देकर लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा।

स्रोत: द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में कभी-कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला ' अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? (UPSC – 2019)

A. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूँजी योगदान।

B. धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना।

C. युद्ध-प्रभावित मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिये गए वचन।

D. जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1."वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। (UPSC CSE – 2018 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2. भारत में भूमि पुनर्स्थापन की प्रमुख चुनौतियों और उससे उत्पन्न होने वाले प्रमुख अवसरों की व्याख्या करते हुए यह चर्चा कीजिए की पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपाय क्या – क्या हो सकते हैं ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में मीडिया की निष्पक्षता बनाम भ्रामक विज्ञापन उद्योग

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया का स्व – नियमन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय मीडिया की निष्पक्षता, विज्ञापन उद्योग, भ्रामक विज्ञापन, उच्चतम न्यायालय ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में मीडिया की निष्पक्षता बनाम भ्रामक विज्ञापन उद्योग ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन से बचाने के प्रयास में, भारत के मीडिया घरानों और मीडिया चैनलों को यह आदेश दिया है कि विज्ञापनदाताओं को मीडिया के माध्यम से उत्पादों को बढ़ावा देने से पहले उसे खुद ही स्व-घोषणा प्रदान करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के उस पत्र को तुरंत

रद्द कर दिया है जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को बाहर रखा गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के स्व नियमन के लिए दिया गया दिशा – निर्देश :

- **मीडिया घरानों और चैनलों द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करना :** विज्ञापनदाताओं को अब मीडिया में उत्पादों को बढ़ावा देने से पहले स्व-घोषणा पत्र प्रदान करना आवश्यक है। इसमें यह घोषित करना शामिल है कि उनके विज्ञापन भ्रामक नहीं हैं और उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उनके उत्पादों के बारे में असत्य बयान शामिल नहीं हैं।
- **विज्ञापनदाताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल :** भारत में टीवी विज्ञापनों को प्रसारित करने की योजना बनाने वाले विज्ञापनदाताओं को अपनी घोषणाएं 'ब्रॉडकास्ट सेवा' पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यह पोर्टल केंद्रीकृत हितधारकों के लिए अनुमतियां, पंजीकरण और मंच लाइसेंस प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत रूप में कार्य करता है। भारत में प्रिंट विज्ञापनदाताओं के लिए एक समान पोर्टल स्थापित करने की तैयारी भारत सरकार द्वारा की जा रही है।
- **विज्ञापनदाताओं की जिम्मेदारी :** उत्पादों का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया प्रभावितों, मशहूर हस्तियों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों को अब जवाबदेह ठहराया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जिन उत्पादों का वे समर्थन करते हैं, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हुए जिम्मेदारी निभाएं, जिससे किसी भी भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं से बचा जा सके।
- **उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना :** भारत में उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की जानी है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे कि उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति और परिणामों पर अपडेट प्राप्त हो, जिससे उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि होगी।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)** के निर्देश प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए भुगतान किए गए विज्ञापनों के संबंध में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
    - दिशा निर्देश 8 बच्चों को लक्षित करने वाले या उससे जुड़े विज्ञापनों के बारे में है।
    - दिशा निर्देश 12 निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के दायित्वों के बारे में बात करता है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विश्वास को उनकी सीमित जागरूकता के कारण समझौता या शोषण से बचाना है।
    - दिशा निर्देश 13 विज्ञापन में जिम्मेदार व्यवहार को अनिवार्य बनाता है, जिसके तहत विज्ञापन कर्ताओं को उस विशिष्ट खाद्य उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव रखने की आवश्यकता होती है जिससे वे विज्ञापन करते हैं। यह आगे यह निर्धारित करता है कि विज्ञापन भ्रामक नहीं होना चाहिए।
- **नियम 170 को बाहर करने के निर्णय की आलोचना :** यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों से जुड़े विज्ञापनों के प्रबंधन के संबंध में सरकार के निर्देश पर अस्वीकृति व्यक्त करने के बाद आया है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 170। आयुष मंत्रालय ने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और आयुष के औषधि नियंत्रकों को इसे हटाने के संबंध में निर्देश दिया है। नियम 170 (संबंधित प्रावधानों के साथ) 1945 के नियमों से। नियम 170 लाइसेंसिंग अधिकारियों की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

भारत में विज्ञापन विनियमों के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण :

- भारत में, भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन मुख्य रूप से कई सरकारी निकायों और कानूनी ढांचे द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल प्रमुख नियामक प्राधिकरणों में शामिल हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसके अतिरिक्त, भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न कानून और नियम लागू हैं।
- भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) विज्ञापन सामग्री को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह है एक स्व-नियामक संगठन इसमें विज्ञापन उद्योग, मीडिया और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं के सदस्य शामिल हैं। एएससीआई स्व-विनियमन के एक कोड के आधार पर संचालित होता है, जो नैतिक विज्ञापन प्रथाओं के लिए मानक निर्धारित करता है। एएससीआई के कोड का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन जांच के अधीन हैं और एएससीआई की सिफारिशों के आधार पर उन्हें वापस लिया या संशोधित किया जा सकता है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) एक अन्य महत्वपूर्ण नियामक निकाय है जिसका काम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। सीसीपीए भ्रामक विज्ञापनों और अनैतिक विपणन रणनीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिशानिर्देश और निर्देश जारी करता है। यह पर जोर देती है विज्ञापन में पारदर्शिता, विशेष रूप से प्रभावशाली लोगों द्वारा भुगतान किए गए समर्थन के संबंध में, और विज्ञापनदाताओं को उनके द्वारा प्रचारित उत्पादों के लिए जवाबदेह रखता है।
- इसके अलावा, विशिष्ट कानून और विनियम कुछ उत्पादों के विज्ञापन को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का 1940 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का 2006. ये कानून अनिवार्य करते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य उत्पादों और अन्य विनियमित वस्तुओं के विज्ञापन प्रसार से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने सहित कठोर आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ :

- **उपभोक्ताओं के साथ होने वाला धोखा :** भ्रामक विज्ञापन उत्पादों या सेवाओं के बारे में गलत या अतिरंजित जानकारी प्रदान करके उपभोक्ताओं को धोखा दे सकते हैं। इस धोखे के कारण उपभोक्ता बिना सोचे-समझे खरीदारी के निर्णय ले सकते हैं, उन उत्पादों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, या यहां तक कि अगर विज्ञापन उत्पाद वादे के अनुसार पूरा नहीं होता है तो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **वित्तीय रूप से क्षति होना :** भ्रामक विज्ञापनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को वित्तीय हानि हो सकती है। वे झूठे दावों के आधार पर उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुका सकते हैं या अप्रभावी या घटिया सामान खरीद सकते हैं जो वादा किए गए लाभ देने में विफल रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप पैसे की बर्बादी हो सकती है और खरीदारी से असंतोष हो सकता है।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होना :** फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य अनुपूरक, या चिकित्सा उपकरणों जैसे उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। इन उत्पादों की प्रभावशीलता या सुरक्षा के बारे में झूठे दावे व्यक्तियों को उचित चिकित्सा मार्गदर्शन के बिना इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से नुकसान या प्रतिकूल दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
- **मीडिया चैनलों और अखबारों के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होना :** भ्रामक विज्ञापन व्यवसायों में विश्वास को खत्म करता है और बाजार में विश्वास को कमजोर करता है। जो उपभोक्ताओं को बार-बार भ्रामक विपणन रणनीति का सामना करना पड़ता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं उलझन में सभी विज्ञापन संदेशों के कारण, वैध व्यवसायों के लिए अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना कठिन हो गया है।
- **अनुचित आपसी प्रतिस्पर्धा और टी आर पी का खेल :** भ्रामक विज्ञापन अनैतिक व्यवसायों को उन प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित लाभ दे सकते हैं जो सच्चे और पारदर्शी विपणन प्रथाओं का पालन करते हैं। झूठे दावे करके या अपने उत्पादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, व्यवसाय ग्राहकों को उन प्रतिस्पर्धियों से दूर आकर्षित कर सकते हैं जो वास्तविक उत्पाद या सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **कानूनी और नियामक परिणाम :** जो भ्रामक विज्ञापन व्यवसाय में संलग्न हैं, उन्हें कानूनी और विनियामक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आर्थिक जुर्माना के साथ ही साथ अन्य प्रकार के जुर्माना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होना भी शामिल है। नियामक निकाय और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियां सक्रिय रूप से विज्ञापन प्रथाओं की निगरानी करती हैं और विज्ञापन मानकों और विनियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं।

समाधान / आगे की राह :

भारत में मीडिया की निष्पक्षता और भ्रामक विज्ञापन उद्योग के संदर्भ में समाधान की राह के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं –

- **मीडिया की स्वतंत्रता :** मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार और अन्य संस्थाओं को मीडिया पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। स्वतंत्र मीडिया ही सच्चाई और निष्पक्षता को बनाए रख सकता है।
- **विज्ञापन नियमों का सख्त पालन करना :** भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए, विज्ञापन नियमों का सख्त पालन किया जाना चाहिए। विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) जैसे संगठनों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- **जन जागरूकता अभियान चलाना :** जनता को भ्रामक विज्ञापनों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा और सूचना अभियानों का आयोजन किया जा सकता है।
- **मीडिया और विज्ञापन उद्योग को स्व-नियमन का उपयोग करना :** मीडिया और विज्ञापन उद्योग को स्व-नियमन के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। इससे उद्योग में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **कानूनी उपाय :** भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को और मजबूत किया जा सकता है।
- **स्वतंत्र निगरानी संस्थान की स्थापना करना :** एक स्वतंत्र निगरानी संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जो मीडिया और विज्ञापन उद्योग की गतिविधियों पर नजर रख सके और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके।
- इन उपायों के माध्यम से, हम भारत में मीडिया की निष्पक्षता और भ्रामक विज्ञापन उद्योग के मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और एक

स्वस्थ और पारदर्शी मीडिया वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।

स्तोत्र – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मीडिया की निष्पक्षता बनाम भ्रामक विज्ञापन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में, भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन के लिए कोई सरकारी निकाय और कानूनी ढांचा नहीं है।
2. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) भारत में भ्रामक विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल कथन 1

B. केवल कथन 2

C. कथन 1 और 2 दोनों

D. न तो कथन 1 और न ही कथन 2

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भ्रामक विज्ञापन बाजार किस तरह प्रभावित करता है को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि,भारत में भ्रामक विज्ञापन व्यवसायों में शामिल होने वाले को कौन से कानूनी और नियामक परिणामों का सामना करना पड़ता है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, शिक्षा ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, वैश्विक स्तर पर शीर्ष वैश्विक संस्थान, भारत में शीर्ष भारतीय शिक्षण संस्थान, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 खबरों में इसलिए है क्योंकि इस साल की रैंकिंग में कई महत्वपूर्ण बदलाव और नई विशेषताएं शामिल की गई हैं।
- इस साल की रैंकिंग में 1,500 संस्थानों को शामिल किया गया है और इसमें तीन नए संकेतक जोड़े गए हैं: स्थिरता, रोजगार परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क।
- इसके अलावा, इस साल की रैंकिंग में कई विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जैसे कि इम्पीरियल कॉलेज लंदन ने दूसरी स्थान पर छलांग लगाई है।
- इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- इस साल की रैंकिंग में स्थिरता को एक मुख्य मापदंड के रूप में शामिल किया गया है, जो छात्रों और विश्वविद्यालयों के बदलते मिशनों को दर्शाता है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मुख्य विशेषताएँ :

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

- QS (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) एक वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक और सेवा प्रदाता है, जो वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए बेजोड़ डेटा, विशेषज्ञता और समाधान प्रदान करता है।
- 2025 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संकलन के लिए, QS ने 17 मिलियन शोध पत्रों, 176 मिलियन उद्धरणों, विश्व भर के 5,600 संस्थानों के डेटा और 175,798 शिक्षाविदों तथा 105,476 नियोक्ताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि का विश्लेषण किया है।

वैश्विक स्तर पर शीर्ष वैश्विक संस्थान :

वैश्विक स्तर पर शीर्ष वैश्विक संस्थान निम्नलिखित है –

- **मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) :** QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार यह संस्थान वैश्विक स्तर पर लगातार 13वें वर्ष भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।
- **इंपीरियल कॉलेज लंदन :** QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार इंपीरियल कॉलेज लंदन पिछले साल की छठे स्थान क तुलना में इस वर्ष वैश्विक शीर्ष संसथान की श्रेणी में दूसरे स्थान पर पहुँचा है।
- **QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय: संयुक्त रूप से वर्ष 2024 में तीसरे स्थान पर है।**

क्षेत्रीय आकर्षण : ETH ज़्यूरिख़, 17 वर्षों से महाद्वीपीय यूरोप में शीर्ष संस्थान बना हुआ है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) ने अपना आठवाँ स्थान बरकरार रखते हुए एशिया में एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की स्थिति:

- रैंकिंग के इस संस्करण में, 46 विश्वविद्यालयों के साथ, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सातवें स्थान पर है और एशिया में तीसरे स्थान पर है, जो केवल जापान (49 विश्वविद्यालय) और चीन (71 विश्वविद्यालय) से पीछे है।

- इस बार कुल %61 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जिसमें IIT बॉम्बे को भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि %24 ने अपना स्थान पिछले वर्ष की तरह ही अपना स्थान बरकरार रखा है।

भारत का शोध एवं आपसी सहयोग में प्रदर्शन :

- प्रति संकाय उद्धरण: इस संबंध में भारत का प्रदर्शन उत्कृष्ट है, जिसका स्कोर 37.8 है, जो वैश्विक औसत 23.5 से अधिक है।
- यह एशिया में उन देशों में दूसरे स्थान पर है जहाँ 10 से अधिक रैंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय हैं।
- हालाँकि, भारत अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात संकेतकों में पीछे है, जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान-प्रदान की आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत में शीर्ष भारतीय शिक्षण संस्थान :

- **IIT बॉम्बे** : भारत में अग्रणी, IIT बॉम्बे 2024 में 149वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान पर पहुँच गया।
- **IIT दिल्ली** : भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 197वें स्थान से 47 पायदान नीचे 150वें स्थान पर पहुँचा।
- **IIT इंदौर :** इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय संस्थान IIT इंदौर रहा जिसकी रैंकिंग में गिरावट आई और यह 454वें स्थान से गिरकर 477वें स्थान पर आ गया है।
- **नई प्रविष्टियाँ::** सिंबायोसिस इंटरनेशनल (Symbiosis International) (डीम्ड यूनिवर्सिटी) शीर्ष 20 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुई तथा वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग 650-641 के बीच है।

वैश्विक स्तर पर भारत के शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय:के शीर्ष वैश्विक संस्थान की श्रेणी में पहुचने में आगे की राह :

- भारत के शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे और दिल्ली ने दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया है1.
- आईआईटी बॉम्बे ने 31 रैंक की बढ़ोतरी के साथ 118वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि आईआईटी दिल्ली 47 अंक ऊपर चढ़कर 150वें स्थान पर पहुँच गया है।
- पिछले एक दशक में, भारतीय विश्वविद्यालयों का वैश्विक रैंकिंग में प्रतिनिधित्व %318 बढ़ा है, जो जी20 देशों में सबसे अधिक है।
- इस प्रगति के बावजूद, भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थानों की श्रेणी में पहुँचने के लिए अनुसंधान, नवाचार, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना भी आवश्यक है।
- इस प्रकार, भारतीय शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थानों की श्रेणी में पहुँचने की राह में अनुसंधान, नवाचार, और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत में शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अंकित है ? (UPSC – 2019)

1. सप्तम अनुसूची
2. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
3. पंचम अनुसूची
4. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1, 3 और 4

C. केवल 1, 2 और 4

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों का वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रणाली के मानदंडों के स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की राह में क्या चुनौतियाँ है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान के उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)